

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
मोहनी पत्नि पुसाराज जाति जाट का. परैकड़ी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 216 / 2021 GCMS No. 1021/1935

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

25.11.2021 वादी श्री मोहनी पुत्र पुसाराज जाति जाट निवासी परैकड़ी द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परैकड़ी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-74 ग्राम परैकड़ी पटवार मण्डल परैकड़ी के खाता नम्बर 243 में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि मोहनी देवी पत्नि पुसाराज दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम मोहनी पत्नि पुसाराज है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 3374 42482379 आधार नम्बर 3374 42482379 मतदाता पहचान पत्र - अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी परैकड़ी भू.अ.नि. जिल्ला एवं तहसीलदार कुचामनसिटी / नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



3
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

915-917